समानता और न्याय के लिए

पीपुल्स एजेंडा

actionaid

समानता और न्याय के लिए

पीपुल्स एजेंडा

actionaid

समानता और न्याय के लिए
पीपुल्स एजेंडा

Some rights reserved

This work is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Provided they acknowledge the source, users of this content are allowed to remix, tweak, build upon and share for non-commercial purposes under the same original license terms.

March 2019

actionaid
www.actionaidindia.org
actionaidindia @actionaid_india @actionaidcomms
ActionAid Association, R - 7, Hauz Khas Enclave, New Delhi - 110016
+911-11-4064 0500

विषय-सूची

भूमिका	1
पानी को कॉमन्स के रूप में स्थापित करना और सबके लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना	3
भूमि अधिकार एवं भू-सुधार	4
मछुआरों तथा उनके समुदायों के अधिकार	6
मजदूरों के अधिकार	9
शहरी शासन का लोकतंत्रीकरण	12
आवास का अधिकार	13
महिलाओं के अधिकार	16
एकल महिलाओं के अधिकार	21
दलितों के अधिकार	25
आदिवासियों के अधिकार	27
घुमंतू और विमुक्त जातियों के अधिकार	30
अल्पसंख्यकों के अधिकार	33
सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार	35
मानवाधिकार संरक्षकों की सुरक्षा	37
आपदा प्रबंधन एवं तत्काल प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना	38

भूमिका

मिल-जुलकर नीतियां तय करना लोकतांत्रिक शासन की बुनियाद है। आम लोगों और हाशिए वाले समुदायों की जरूरतों और चिंताओं को इस प्रक्रिया में शामिल करते हुए यह दस्तावेज इसी उसूल को आगे बढ़ा रहा है। यह दस्तावेज विभिन्न कई समुदायों, सामुदायिक संगठनों, सामाजिक संगठनों और जनांदोलनों के साथ कई राज्यों में की गई लंबी चर्चाओं और बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें दलित, आदिवासी, घुमंतू, विमुक्त जातियां (डीनोटिफाइट ट्राइब्स), अल्पसंख्यक आदि हाशिए वाले समुदायों और उनमें भी खासतौर से महिलाओं की चिंताओं और जरूरतों को जगह दी गई है। इन तबकों पर खासतौर से ध्यान देने का कारण यह है कि हमारे खेत मजदूरों, मछुआरों, ग्रामीण और शहरी अनौपचारिक मजदूरों में इन्ही तबकों की तादाद सबसे ज्यादा होती है।

यह दस्तावेज इस सोच पर आधारित है कि व्यक्तिगत मानवाधिकारों की बुनियाद पर खड़ी अधिकारों की मौजूदा रूपरेखा को विस्तार देना जरूरी है ताकि सामूहिक अधिकारों को बहाल किया जा सके और साझा हितों व साझा संपदाओं (कॉमन्स) की हिफाजत की जा सके। लिहाजा, इसमें पानी जैसे साझा संसाधनों की रक्षा व बहाली के लिए सिफारिशें की गई हैं। इसमें जमीन, जंगल और जल संसाधनों पर जनजातियों, डीनोटीफाइड समुदायों और महिलाओं के नियंत्रण व पहुंच को सुगम बनाने वाली नीतियों पर भी जोर दिया गया है। ये ऐसे लोग हैं जो ऐतिहासिक रूप से इन संसाधनों पर अधिकार से महरूम रहे हैं और इसके बावजूद अपने परंपरागत और देशी विवेक के बल पर इन संसाधनों के संरक्षण और रखरखाव में अहम भूमिका भी अदा करते हैं। इस दस्तावेज में मजदूरों के अधिकारों व हकदारी, शिक्षा

का अधिकार, भूमि सुधारों की जरूरत, आवास का अधिकार, शहरी शासन और आपदाओं के समय प्रभावी और तत्काल कार्रवाई तथा आपदा प्रबंधन जैसे बहुत सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

आज हम एक गहरे पारिस्थितिकीय संकट से जूझ रहे हैं। इसके नतीजे के तौर पर भारी वायुमंडलीय परिवर्तन आए हैं, गैर-बराबरी बढ़ रही है और नए-नए टकराव पैदा हो रहे हैं। विशाल आबादियां विस्थापित हो रही हैं। इन संकटों को तब तक संबोधित नहीं किया जा सकता जब तक हम सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय शोषण की ताकतों को सीधी चुनौती नहीं देंगे। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि वंचित समुदायों के ज्ञान और क्षमता की विरासत को आगे लाया जाए, सामाजिक व पारिस्थितिकीय न्याय के उनके संघर्ष में मदद दी जाए और कानूनी रूपरेखा तथा सुरक्षात्मक प्रणालियों को सींचा जाए। हम उम्मीद करते हैं कि यह दस्तावेज और इसमें दी गई मांगें ऐसी प्रगतिशील कार्रवाइयों के लिए एक आधार की भूमिका अदा करेंगी जो हाशियाई और संवेदनशील समुदायों के नेतृत्व में अंजाम दिए जाएंगे, जो नारीवादी सिद्धांतों पर आश्रित होंगे और जो विभिन्न समुदायों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि इससे चर्चा और चिंतन-मनन की प्रक्रिया को गति मिलेगी और लोकतांत्रिक दायरों व चिंतनशील नीति निर्धारण को बल मिलेगा।

इस दस्तावेज की समीक्षा और सुधार के लिए आपके सुझावों व टिप्पणियों का स्वागत हैं। इसके लिए comms.india2@actionaid.org पर हमें लिखें।

पानी को कॉमन्स के रूप में स्थापित करना और सबके लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना

१. पानी का निजीकरण बंद किया जाए और जलापूर्ति व्यवस्था को फिर से नगरपालिकाओं के तहत लाया जाए। जलापूर्ति व्यवस्था का निजीकरण चाहे निजी ठेकेदारों के जरिए हुआ हो या सार्वजनिक-निजी सहभागिता के नाम पर किया गया हो, उसके सभी प्रकार के निजीकरण को फौरन रद्द किया जाना चाहिए।

२. सबको पानी मुहैया कराने के लिए कानून बनाया जाए। इस कानून के तहत समुद्रों, नदियों, झीलों और धाराओं जैसे साझा जल संसाधनों के संरक्षण की व्यवस्था की जाए क्योंकि आज इन सभी पर बहुत खतरनाक ढंग से घुसपैठ की जा रही है, इनका बेइंतहा दोहन किया जा रहा है। इनमें बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए भी सख्त प्रावधान किए जाएं।

२.१ सार्वजनिक जल संसाधनों के सुदृढ़ीकरण के प्रावधान शामिल किए जाएं और उनके संचालन की लोकतांत्रिक व्यवस्था तैयार की जाए।

२.२ कानून बनाने के साथ-साथ केंद्र एवं राज्यों के स्तर पर एक जलप्रयोग नीति भी पारित की जाए।

३. जल संरक्षण व्यवस्था फौरन लागू की जाए : फिलहाल स्थानीय शासन जल संरक्षण की व्यवस्था लागू करने पर बिल्कुल जोर नहीं दे रहा है। इसके फलस्वरूप लोगों को भी यह नहीं पता है कि वे इसमें किस तरह योगदान दे सकते हैं। स्थानीय शासन को इस पर फौरन ध्यान देना चाहिए। बेहतर और प्रभावी जल संरक्षण के लिए नगरपालिकाओं को शोध और विकास पर भी निवेश करना चाहिए। साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सरकारी व निजी इमारतों में जल संरक्षण व्यवस्था जरूर मौजूद हो।

भूमि अधिकार एवं भू-सुधार

१. राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति तैयार की जाए और उसे प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए।

२. राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद तथा राष्ट्रीय भूमि सुधार कार्यबल का फौरन गठन किया जाए और उन्हें सक्रिय किया जाए।

३. प्रत्येक गरीब ग्रामीण बेघर व्यक्ति को कम से कम १५ सेंट जमीन आबंटित करने के लिए एक राष्ट्रीय आवासीय पट्टा अधिकार कानून पारित व लागू किया जाए। इस मद में केंद्र प्रायोजित योजना लागू की जाए।

४. जमीन संबंधी विवादों/मामलों की सुनवाई व निपटारे के लिए भूमि न्यायाधिकरण और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वादियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाए।

५. भूमिहीन किसानों के लिए खेती हेतु कम से कम पांच एकड़ की कृषि भूमि आबंटित की जाए। इस कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

६. ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतों की सीधी हिस्सेदारी के आधार पर साझा संपत्ति संसाधनों के रिकॉर्ड्स का अद्यतन व सर्वेक्षण किया जाए और उनके सामूहिक अभिशासन की व्यवस्था की जाए। साझा संसाधनों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को मुक्कमल तौर पर लागू किया जाए।

७. यह सुनिश्चित किया जाए कि केंद्र एवं राज्य सरकारें संवैधानिक दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी भूमि सुधार एवं उपयोग नीति का अद्यतन करें।

८. महिलाओं के भूमि अधिकारों के प्रोत्साहन व सुरक्षा हेतु खास प्रावधान किए जाएं। इसके लिए उनके व्यक्तिगत और सामूहिक भूमि अधिकारों को मान्यता दी जाए और ऋण एवं सब्सिडी योजनाओं में उन्हें बराबर की हैसियत दी जाए।

९. पंचमी जमीन, महार जमीन जैसी जमीन जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए तय की गई थी लेकिन आज गैर-दलित दबंगों के कब्जे में हैं, उन पर दावेदारी स्थापित कर भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को बांटा जाए। जिन जमीनों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के परिवारों की दावेदारी है, उन जमीनों पर इन परिवारों को फौरन मालिकाना पट्टा दे दिया जाए।

मछुआरों तथा उनके समुदायों के अधिकार

हमें मत्स्य संसाधनों की सुरक्षा और मछुआरों के अधिकारों को बहाल करने वाली नीतियों के पक्ष में दबाव बनाना होगा। खासतौर से हमें ऐसी नीतियां बनानी होंगी जिनसे छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले समुदायों को प्रकृति के साथ समन्वय में काम करने में मदद मिले। चूंकि हमारे देश में तटीय और भीतरी इलाकों में मछुआरों की तदाद बहुत ज्यादा है इसलिए नीचे दी गई मांगों को पूरा करने पर खास जोर दिया जाए :

१. मछुआरों के पट्टेदारी अधिकारों को मान्यता दी जाए। उन्हें इसके लिए तैयार किया जाए कि वे इन अधिकारों के लिए दावेदारी पेश कर सकें। उन्हें इन अधिकारों की अवहेलना होने पर कानूनी समाधान मुहैया कराया जाए। पट्टेदारी अधिकारों में महिलाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। छोटे पैमाने की मछुआही करने वाले समुदायों को पट्टेदारी अधिकारों के साथ-साथ जल एवं मत्स्य संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल का अधिकार भी दिया जाए। उन्हें अपने जल एवं मत्स्य संसाधनों को प्रदूषण से बचाने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया जाए। उन्हें इन साधनों को अवैध कब्जों से बचाने और उनमें बेतहाशा मछली पकड़ने पर रोक लगाने का अधिकार दिया जाए। उन्हें वित्त पोषण, बुनयादी ढांचे, तकनीक व सामाजिक सुरक्षा के भी अधिकार दिए जाएं। वैकल्पिक आजीविका विकसित करने के लिए उन्हें इन संसाधनों के सदुपयोग व पहुंच का भी अधिकार दिया जाए।

२. ऐसे व्यापक कानून बनाए जाएं जो मछुआरों, खासतौर से छोटे मछुआरों व महिला कामगारों के अधिकारों व आजीविका को हिफाजत दें, जो तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र और जलीय जैव विविधता को सुरक्षा दें। ऐसे कानून के मुख्य तत्व ये होंगे :

२.१ तटीय जमीन, नदियों, समुद्री खाड़ी, बैकवॉटर, क्रीक, ऐश्चुरी और नदी की तलहटी में मछुआरों को अहस्तांतरणीय परंपरागत अधिकार दिए जाएं।

२.२ मछुवारा समुदायों की आवासीय भूमि एवं परंपरागत तट भूमि की रक्षा की जाए।

२.३ समुद्रतल सहित समुद्री संसाधनों पर मछुआओं के अहस्तांतरणीय परंपरागत अधिकार बहाल किया जाएं।

२.४ सागरमाला, स्पेशल इकनॉमिक जोन, परमाणु बिजलीघर, रेत माफिया, प्रदूषक औद्योगिक परियोजनाओं पर रोक लगाई जाए और एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जो तटीय इलाकों के आसपास विकास की योजनाओं में मत्स्य समुदायों की सलाह व चिंताओं का समावेश कर सकें।

२.५ फिश लैंडिंग साइट्स, नौकाओं की पार्किंग के लिए फिशिंग हार्बर, वेंडिंग नेट्स और मछलियों की बिक्री सहित तट के किसी भी हिस्से पर मछुआरों को परंपरागत अधिकार दिए जाएं।

२.६ तटीय एवं समुद्री जैव विविधता को सुरक्षा दी जाए। इसके लिए परंपरागत मछुआरों को इन साधनों पर दूसरों से पहले पहुंच और इस्तेमाल का ऐतिहासिक अधिकार भी दिया जाए।

२.७ भारतीय जल सीमा में मछली पकड़ने एवं विदेशी नौकाओं के आयात के बारे में सख्त नियम/लाइसेंस की व्यवस्था लागू की जाए।

३. यह सुनिश्चित किया जाए कि मछलियों को सुखाने, उनके उपचार एवं प्रोसेसिंग हेतु तटीय भूमि पर महिलाओं को पूरी पहुंच दी जाए। वेंडिंग ज़ोन में कम से कम ५० प्रतिशत क्षेत्रफल महिलाओं के लिए आरक्षित हो और उन्हें भंडारण की जगह तथा शौचालय जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।

४. अंतर्देशीय मत्स्य पालन एवं एक्वाकल्चर पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए जिसमें निम्नलिखित प्रावधान जरूर हों :

४.१ अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग की संभावनाओं का आकलन किया जाए और इन संभावनाओं के दोहन की रूपरेखा तैयार की जाए;

४.२ सभी अंतर्देशीय जलाशयों में मत्स्य संसाधनों की सुरक्षा, संवृद्धि और टिकाऊ इस्तेमाल के लिए छोटे मछुआरों और मत्स्य पालक समुदायों के अधिकारों के बारे में दिशानिर्देश तैयार किए जाएं;

४.३ जल संसाधनों तथा उनके कैचमेंट ऐरिया की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश तय किए जाएं; तथा

४.४ जल संसाधनों और जलागम प्रबंधन को प्रभावित करने वाली विकास योजनाओं में मछुवाही गतिविधियों के समावेश के लिए दिशानिर्देश तय किए जाएं।

५. षिक्षा, स्वच्छता और आवास संबंधी सरकारी योजनाओं में मछुआरों को और पूरी तरह कवर किया जाए। मछुवाही तथा संबंधित गतिविधियों में सक्रिय पुरुशों व महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा सुविधा दी जाए और ऋण सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।

६. केंद्र सरकार के स्तर पर एक अलग मत्स्य पालन मंत्रालय बनाया जाए।

७. ड्राफ्ट कोस्टल रेगुलेषन जोन (सीआरजेड) नोटिफिकेषन, २०११ तथा सीआरजेड २०११ में किए गए संषोधनों को वापस लिया जाए क्योंकि इन्हें संबंधित पक्षों के साथ सलाह-मषविरे के बिना लागू किया गया है। कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान (सीजेडएमपी) जो राज्य सरकारों द्वारा सीआरजेड २०११ के तहत तैयार किया गया है, उसे भी वापस लिया जाए क्योंकि ये योजनाएं अधूरी हैं और उनको तैयार करते समय मछुआरों के समुदायों से सलाह नहीं ली गई थी। नई सीजेडएमपी योजनाओं को मछुआरों के साथ बातचीत के आधार पर तथा ज्वार सीमा और खतरे की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाए।

मजदूरों के अधिकार

१. न्यूनतम मजदूरी

१.१ प्रस्तावित श्रमिक पारिश्रमिक संहिता में किसी भी रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर राष्ट्रीय न्यूनतम फ्लोर लेवल वेज को वैधानिक रूप से बाध्यकारी बनाया जाए। किसी की भी मजदूरी १८,००० रुपये माहवार से कम न हो और उसमें इंडेक्सेशन का भी प्रावधान किया जाए।

१.२ न्यूनतम मजदूरी कानून को सभी जगह सख्ती से लागू किया जाए।

२. सामाजिक सुरक्षा

२.१ सभी मजदूरों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवररेज मुहैया करायी जाए। इसके मुख्य तत्व ये होंगे :

२.१.१ बुनियादी सामाजिक सुरक्षा : भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और आवास का अधिकार।

२.१.२ कार्य संबंधी अधिकार, जैसे बीमा, स्वास्थ्य कवर और वृद्धावस्था सुरक्षा।

२.१.२.१ वृद्धावस्था सुरक्षा : एक औपचारिक सामाजिक सुरक्षा से वंचित सभी वृद्ध व्यक्तियों (पुरुष एवं महिलाएं), विधवाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के मुकाबले कम से कम आधी पेंशन दी जाए। अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों की पेंशन के

लिए न्यूनतम आयु महिलाओं के लिए ५० वर्ष और पुरुषों के लिए ५५ वर्ष तय की जाए। इसके भीतर भी कुछ खास संवेदनशील व्यवसायों में काम करने वाले मजदूरों और खास साामजिक समूहों के लिए विशेष छूट दी जानी चाहिए।

२.१.२.२ स्वास्थ्य एवं मातृत्वः सार्वजनकि स्वास्थ्य सुरक्षा के माध्यम से एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य पैकेज मुहैया कराया जाए और इसमें ओपीडी और जांच का प्रावधान भी शामिल किया जाए। सभी महिलाओं को प्रसव से पहले ३ महीने और प्रसव के बाद ६ महीने तक न्यूनतम वेतन के मुकाबले आधी रकम मासिक अदा की जाए।

२.१.२.३ जीवन एवं विकलांगताः सभी मजदूरों को प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर १,००,००० रुपये और दुर्घटनावश मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता की स्थिति में २,००,००० रुपये का बीमा मिलना चाहिए। यह व्यवस्था निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए।

२.२ असंगठित मजदूर काम की तलाश में और अपनी मजदूरी के लिए लेबर अड्डों/चौक पर जमा होते हैं। ऐसे स्थानों पर निम्नलिखित सुविधाएं फौरन मुहैया कराई जाएं:

२.२.१ लेबर अड्डों पर समुचित शेड की व्यवस्था हो, इंतजार करने और बैठने की जगह हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, लेबर अड्डों के पास पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय हों।

२.२.२ लेबर अड्डों पर आने वाले मजदूरों की संख्या के अनुसार मजदूरों के पंजीकरण और नियमन के लिए वहां एक (या अधिक) श्रम अधिकारियों को स्थायी रूप से नियुक्त किया जाए।

२.२.३ सभी मजदूरों को पूरे साल कुछ न्यूनतम काम जरूर मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए उनका पंजीकरण किया जाए और उन्हें कार्ड जारी किए जाएं; तथा

२.२.४ मजदूरों के लिए सुरक्षा राशन शॉप होनी चाहिए और वहां से हेल्मेट, जूते, कैराबाइनर, रस्सी आदि खरीदने के लिए प्रत्येक अनौपचारिक मजदूर को न्यूनतम २,००० रुपये का वाऊचर दिया जाए।

३. काम और नौकरी

३.१ सभी मजदूरों को एक सम्मानजनक जीवन स्तर के लिए एक उपयुक्त मजदूरी मिलनी चाहिए।

३.२ मनरेगा कार्यक्रम को पूरी तरह लागू किया जाए और इसके तहत मजदूरों को २०० दिन की मजदूरी देने की व्यवस्था की जाए।

३.३ मजदूरी का अधिकार तथा काम का अधिकार देने के लिए एक समग्र कानून बनाया और लागू किया जाए।

शहरी शासन का लोकतंत्रीकरण

१. ७४वें संविधान संशोधन को फौरन लागू किया जाए। इस कानून के अनुसार वार्ड कमेटियों का गठन किया जाए और सभी वंचित शहरी समुदायों (झुग्गीवासी, बेघर, रेहड़ी वाले, नगर निगम के सफाई कर्मचारी आदि) का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

२. इंडस्ट्रियल जोनिंग, ऑटो मोबाइल के इस्तेमाल, कॉमन्स की मैपिंग और संरक्षण, आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों आदि के बारे में स्थानीय नगरपालिकाओं का क्षमतावर्धन किया जाए। नगरपालिकाओं को समुचित संसाधन मुहैया कराए जाएं।

३. उपलब्ध सेवाओं, जिम्मेदारियों, नोडल अधिकारियों, भौतिक प्रगति और बजट के बारे में समय पर और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में सार्वजनिक स्तर पर सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं।

४. स्पेशल पर्पज वेहिकल्स को रद्द किया जाए क्योंकि इनके जरिये शहरी नगरपालिकाओं की शक्तियों पर कुठाराघात किया जा रहा है।

५. शहरों में स्थानीय/मोहल्ला स्तर पर सहभागी बजटिंग एवं योजना का तरीका अपनाया जाए।

आवास का अधिकार

१. शहरी गरीबों के विस्थापन पर रोक लगाने के विकल्प ढूंढे जाएं। ऐसे कार्यक्रम अपनाए जाएं जिनमें लोगों को विस्थापित करने की जरूरत न पड़े या शहरी गरीबों के आवास एवं विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे कार्यक्रम अपनाये जाएं जिनमें विस्थापन की संभावना कम हो।

२. बेदखली पर रोक लगाई जाएः प्रभावित लोगों की सहमति, पुनर्वास व पुनर्स्थापन की व्यवस्था के बिना किसी को बेदखल नहीं किया जाए। जो झुग्गियां आवास योग्य जमीन पर बसी हैं, उन्हें यथास्थान विकास और संपत्ति स्वामित्व का पूरा अधिकार दिया जाए। जो लोग गैर-आवास योग्य, या खतरनाक जमीन पर रह रहे हैं या बेघर हैं, उनको हटाने से पहले उनके समुचित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। जो लोग मौजूदा परिभाषाओं के अनुसार विस्थापन के अधिकार से वंचित हैं उनहें भी पुनर्वास का अधिकार दिया जाए।

३. शहर का निर्माण करने वालों के लिए मजदूरों के हॉस्टल और २४ घंटे के स्थायी आवास जैसी पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। ऐसे हॉस्टलों और बसेरों को सरकार की देख-रेख में चलाया जाए जिन्हें बाद में स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों या अन्य निकायों को सौंपा जा सकता है। इस तरह के हॉस्टलों और बसेरों के इस्तेमाल के लिए मजदूरों से मामूली शुल्क ही वसूल किया जाए।

३.१ शहरी बेघर लोगों से संबंधित योजनाओं को विस्तार दिया जाए ताकि हर साल समय-समय पर आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए हॉस्टल तैयार किए जा सकें। यह सुविधा मजदूरों को रियायती किराये पर मुहैया कराई जानी चाहिए।

३.२ इस तरह के हॉस्टलों में से ३० प्रतिशत हॉस्टल और बसेरे महिलाओं, छोटे बच्चों वाली महिलाओं, परिवारों आदि के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए। उन्हें यह सुविधा प्रति व्यक्ति ५० रुपये प्रतिदिन जैसी न्यूनतम लागत पर दी जानी चाहिए।

४. झुग्गी बस्तियों में सभी नगरपालिका सेवाएं मुहैया कराई जाएं और उन्हें शहरी विकास योजनाओं का अभिन्न अंग बनाया जाए। इसके तहत प्रत्येक इमारत में पानी की आपूर्ति का सीधा कनेक्शन हो (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन १३५ लीटर के हिसाब से), बस्ती में समुचित नालियां हों, स्वास्थ्य सुविधाएं और बालवाड़ी/पाठशाला उपलब्ध हों, रहने लायक मकान हों और उनके रख-रखाव की व्यवस्था हो।

५. लंबे समय के लिए आने वाले प्रवासियों और स्थायी प्रवासियों (लगातार अपडेट होने वाली कट-ऑफ बेस के आधार पर) के लिए तैयार किए जाने वाले सामाजिक एवं अन्य आवासीय कार्यक्रमों में इन आयामों पर खासतौर से ध्यान दिया जाना चाहिए:

५.१ आवासीय कार्य योजनाओं की तैयारी से संबंधित कदमः प्रत्येक बस्ती के लिए आवासीय कार्य योजनाएं तैयार करने के दौरान आवास योग्य और गैर-आवास योग्य (खतरनाक आदि) दोनों प्रकार की जमीन पर रहने वाले झुग्गीवासियों की सलाह जरूर ली जाए। इस अनिवार्य परामर्श में प्रत्येक झुग्गीबस्ती के कम से कम ६० प्रतिशत निवासी हिस्सा लें। इस तरह के परामर्श के आधार पर नगरपालिका की देख-रेख में कार्य योजना तैयार की जाए। इसके लिए संबंधित निकाय इस बारे में प्रस्ताव पेश करेंगे कि आवासीय एवं सामुदायिक सुविधाओं की रूपरेखा क्या होगी और लोक सेवाओं की योजना कैसी होगी। इस तरह की योजनाओं पर व्यापक चर्चा के लिए उनको स्थानीय ठिकानों पर प्रकाशित किया जाएगा।

५.२ झुग्गीवासियों के साथ सलाह-मशविरे और समग्र योजना पर कम से कम ७० प्रतिशत झुग्गीवासियों की सचेत सहमति लेने के बाद ही आवास योजनाओं को पुनर्निर्धारित किया जाए। इनमें आवास एवं साझा सुविधाओं की तथा अन्य शहरी सुविधाओं की भी योजना शामिल की जाए।

५.३ अगर योजना के अनुसार नये आवास स्थलों पर जाना जरूरी हो जाता है तो प्रत्येक परिवार की सहमति लेना और उन्हें पुनर्वास की समय सीमा तथा पद्धति के बारे में पूरी जानकारी देना जरूरी होगा।

५.४ मकानों के पुनर्निर्माण के दौरान प्रभावित परिवारों को किराये के मकान या वैकल्पिक मकानों में रहने की सुविधा दी जाए। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और बाजारों के आसपास बेघर लोगों के लिए रैन बसेरे बनाने हेतु जमीन और इमारतें मुहैया कराई जाएं।

६. जहां झुग्गी बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों को हटाना जरूरी है वहां निम्नलिखित कदम जरूर उठाये जाएं:

६.१ पुनर्वास स्थलों पर सभी आवश्यक सुविधाओं और रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। वहां से काम पर जाने की सुविधा उपलब्ध हो। इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऐसे स्थान शहर से न्यूनतम दूरी पर हों (उदाहरण के लिए, जहां से लोगों को हटाया गया है, वहां से पुनर्वास स्थल अधिकतम ५ किलोमीटर के भीतर होने चाहिए)।

६.२ जिन लोगों को हटाया जा रहा है, उन्हें परिवहन भत्ता भी दिया जाना चाहिए।

६.३ नये स्थानों पर सभी नगरपालिका सुविधाए मुहैया कराई जाएं। बुनियादी ढांचा विकसित करने की कोई लागत स्थानीय निवासियों पर न सौंपी जाएं। बुनियादी ढांचे की पूरी लागत नगरपालिकाओं को खुद उठानी चाहिए।

६.४ जहां बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं वहां संबंधित लोगों से सहमति जरूर ली जाए और उन्हें इन इमारतों में रहने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं (मसलन तीन मंजिल से ऊपर जाने के लिए लिफ्ट हो, पार्किंग सुविधा, पानी की सुविधा और भंडारण की जगह आदि हो)।

महिलाओं के अधिकार

१. सभी प्रकार की शासन प्रक्रियाओं में महिलाओं को समान अधिकार दिया जाए।

अभिशासन के सभी स्तरों पर महिलाओं को ५० प्रतिशत आरक्षण दिया जाए ताकि पंचायत से लेकर संसद तक हर स्तर पर महिलाओं की आवाज सुनी जा सके।

२. कृषि क्षेत्र में महिलाएं

२.१ महिलाओं को किसान के रूप में मान्यता देना - राष्ट्रीय किसान नीति २००७ के अनुरूप महिलाओं को किसान के रूप में मान्यता दी जाए। इसमें उन सभी महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए जो काश्तकार हैं, खेतिहर मजदूर हैं, चरवाहे का काम करती हैं, जो पशुपालन करती हैं, जो वन-भूमि में काम करती हैं, मछली पकड़ती हैं या सॉल्ट पैन में काम करती हैं। ऐसी महिलाओं को पहचान पत्र (आईडेंटिटी कार्ड) या प्रमाण पत्र देने के साथ-साथ ग्राम स्तर पर पंजीकरण की सुविधा मुहैया कराई जाए। सभी महिलाओं को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएं ताकि उन्हें भी कृषि ऋण, फसलनाश राहत, लागत सब्सिडी आदि मिल सके।

२.२ महिला किसानों के भूमि अधिकारों को रक्षा व प्रोत्साहन दिया जाए - सभी भूमिहीन महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। उन्हें आवासीय पट्टा और कृषि भूमि मिलनी चाहिए। भूमिहीन महिलाओं, खासतौर से हाशिये वाले समुदायों की भूमिहीन महिलाओं का डेटाबेस तैयार किया जाए। सरकार ऐसी महिलाओं का डेटाबेस

तैयार करे ताकि इन महिलाओं को भूमि वितरण योजनाओं में प्राथमिकता दी जा सके। ऐसी महिलाओं का पूरा डेटाबेस २ साल के अंदर तैयार कर लिया जाए और उसको नियमित रूप से अपडेट किया जाए।

२.३ जमीन के मालिकाना हक से संबंधित सभी दस्तावेज पति और पत्नी, दोनों के संयुक्त नाम पर होने चाहिए। आमतौर पर ये दस्तावेज सिर्फ पति के नाम पर होते हैं जो कि गलत है। जिस जमीन का मालिकाना हक महिला के नाम पर होने के कारण स्टैम्प ड्यूटी में छूट मिली है उसे कम से कम दस साल तक किसी पुरुष के नाम पर ट्रांसफर न किया जाए। 'वीमेन रिसोर्स सेल' के रूप में एक 'सिंगल विंडो' व्यवस्था विकसित की जाए जहां महिलाओं के जमीन से संबंधित सभी विवादों को समयबद्ध ढंग से हल किया जा सके। यह व्यवस्था पंचायत/ब्लॉक स्तर पर तैयार की जाए। महिला किसानों की खेती वाली जमीन को नरेगा की सहायता से विकसित किया जाना चाहिए।

२.४ महिला किसानों के लिए सहायता:

२.४.१ महिला किसानों को कृषि उपज बाजार समितियों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

२.४.२ महिलाओं को सभी तरह की तकनीकी सहायता मुहैया कराई जाए। यह सहायता कृषि उपकरणों और तकनीक के रूप में भी होनी चाहिए जिससे महिला किसानों को अतिरिक्त परिश्रम से राहत मिल सके।

२.४.३ महिला खेतिहर मजदूरों के लिए समान और सम्मानजनक मजदूरी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

२.४.४ सभी मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि महिलाओं को आर्थिक एवं अन्य सभी प्रकार की सहायता मिल सके और महिला किसान इसका लाभ उठा सकें। इन योजनाओं में प्रसूति एवं पेंशन संबंधी अधिकार और बीमा कार्यक्रम भी शमिल किए जाएं।

२.४.५ कृषक उत्पादक संगठन योजना को मुकम्मल तौर पर लागू किया जाए ताकि महिला किसान समूहों को भी आर्थिक और तकनीकी सहायता मिल सके।

२.५ किसानों द्वारा आत्महत्या की स्थिति में महिलाओं के लिए सहायता

अगर कोई किसान फसल बेकार हो जाने या कर्जे न चुका पाने की वजह से आत्महत्या करता है तो परिवार की महिला मुखिया को समुचित मुआवजा दिया जाए। उस परिवार

पर बकाया सारे कर्जे रद्द माने जाएं और परिवार को समुचित रोजगार मुहैया कराया जाए। साथ ही उन्हें कृषि भूमि भी दी जाए।

३. महिला मजदूरों को वेतन का अधिकार तथा अन्य अधिकार

३.१ पंजीकरण व्यवस्था तक पहुंच प्रदान की जाए - पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाएं भी मजदूर के तौर पर अपना पंजीकरण करा सकें। इसके लिए उन्हें ऑनलाईन और ऑफलाईन, दोनों तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए। महिला मजदूरों को इस बारे में जागरूक बनाने के लिए सरकार को समय-समय पर जाग. रूकता अभियान और पंजीकरण अभियान चलाने चाहिए। अगर महिला मजदूरों को लेबर कार्ड दिया जाता है तो इससे उन्हें मजदूर के तौर पर मान्यता और पहचान मिलेगी।

३.२ महिला मजदूरों के लिए सहायता - लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएं और उन्हें विस्तार दिया जाए ताकि औपचारिक व अनौपचारिक, दोनों क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिल सके। एकल महिलाओं, हिंसा पीड़ित और वंचित समुदायों की महिलाओं पर सबसे पहले ध्यान दिया जाए। उन्हें उचित कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाए।

३.३ महिला श्रमिकों के लिए सम्मानजनक वेतन और मजदूरी

३.३.१ आईएलओ कन्वेंशन १८९ तथा सिफारिश २०१ के अनुरूप घरेलू महिला मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक समग्र राष्ट्रीय कानून पारित किया जाए। इस कानून के माध्यम से घरेलू मजदूर मुहैया कराने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों पर भी अंकुश लगाया जाए ताकि वे इन महिलाओं का शोषण न कर सकें। इसके अलावा, राज्य सरकारों को सुरक्षित प्रवासन सुनिश्चित करने के लिए प्रवासन व्यवस्था और सहायता केंद्र भी विकसित करने चाहिए।

३.३.२ संगठित क्षेत्र में महिला मजदूरों के लिए सम्मानजनक न्यूनतम मजदूरी १८,००० रुपये प्रतिमाह तय की जाए।

३.३.३ जिला स्तर पर फास्ट ट्रैक लेबर कोर्ट शुरू किए जाएं जहां मजदूरी का भुगतान न होने, कम भुगतान होने या किसी भी तरह के शोषण की शिकायतों पर सुनवाई की जा सके।

३.४ महिला श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

३.४.१ सामाजिक सुरक्षा बजट को जेंडर के आधार पर बांटा जाए और महिला मजदूरों के लिए इस बजट में वृद्धि की जाए। महिला मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा में

प्रसूति लाभ, बीमारी लाभ, विकलांगता भत्ते, आश्रित भत्ता, बेरोजगारी भत्ता आदि शामिल किया जाए और साथ ही प्रोविडेंट फंड और पेंशन की भी व्यवस्था की जाए।

३.४.२ शहरी विकास योजनाओं में सामाजिक आवास सुविधाओं के लिए जगह आवंटित की जाए। खासतौर से महिला श्रमिकों के लिए ऐसा करना जरूरी है। महिलाओं के लिए किराये के मकान और कामकाजी महिला हॉस्टल बनाए जाएं। इन योजनाओं में प्रवासी महिला मजदूरों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

३.५ महिला श्रमिकों के लिए काम की जगह और सार्वजनिक स्थलों को सुरक्षित करना

३.५.१ कार्यस्थल महिला यौन उत्पीड़न (निषेध, रोकथाम एवं निपटारा) कानून, २०१३ के प्रावधानों को लागू किया जाए। महिला मजदूरों के लिए हेल्पलाईन भी शुरू की जाए ताकि उन्हें समय पर उचित सलाह और न्याय मिल सके।

३.५.२ सरकार को चाहिए कि वह सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर लिंग आधारित संवेदनशील सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराने के लिए उचित नीति तैयार करे और उसे लागू करे। इसके लिए उन्हें निःशुल्क एवं सुलभ सार्वजनिक शौचालय, घर में पानी का कनेक्शन आदि मुहैया कराया जाए। उन्हें सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। यौन उत्पीड़न की रोकथाम और महिला विरोधी हिंसा को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर उचित रौशनी की व्यवस्था की जाए। इस नीति को लागू करने के लिए पर्याप्त बजट भी मुहैया कराया जाए ताकि कामकाजी महिलाएं बिना किसी भय के अपने कार्यस्थलों तक आ-जा सकें।

३.५.३ सभी बाजारों और क्रय-विक्रय स्थलों पर महिलाओं के लिए जगह आरक्षित की जाएं। इन स्थानों पर कम से कम ३० प्रतिशत ठीये महिलाओं के लिए निर्धारित हों।

४. महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए कानूनों को सख्त बनाया जाए

४.१ हिंसा पीड़ितों के लिए मदद और हिंसा की रोकथाम - घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया जाए और उचित संख्या में अधिकारी नियुक्त किए जाएं। पीड़ित महिलाओं के लिए एक ही जगह सहायता और सुनवाई

की सुविधा मुहैया कराई जाए। हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए जमीन, कौशल और आर्थिक साधनों की व्यवस्था की जाए और हिंसा पीड़ित महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए विशेष आर्थिक कार्यक्रम चलाए जाएं।

४.२ मानव तस्करी की समस्या को रोकने के लिए एक समग्र कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें मानव तस्करी, प्रवासन और बंधुआ मजदूरी की समस्या को संबोधित करने वाले मौजूदा कानूनों में दिखने वाली विभिन्नता का हल हो।

४.३ पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी-२००३ में संशोधित) कानून में किसी तरह की काट-छांट न की जाए और उसे सख्ती से लागू किया जाए।

एकल महिलाओं के अधिकार

१. कानूनी परिभाषा

१.१ 'एकल महिला' (सिंगल वूमेन) शब्द को उचित तरीके से परिभाषित किया जाए। इसमें सिर्फ विधवाओं को ही नहीं बल्कि सभी श्रेणियों की एकल महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए ताकि सभी एकल महिलाएं पेंशन, बच्चों के पालन पोषण के लिए मिलने वाली सहायता सहायता, आवास, कौशल प्रशिक्षण आदि के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकें।[१] इन लाभों और सुविधाओं को संस्थागत स्तर पर लागू करने के लिए जरूरी है कि पारिवारिक और व्यक्तिगत स्तर पर लैंगिक आंकड़े इकट्ठा किए जाएं।

१.२ मान्यता की प्रक्रिया - गांवों में ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया जाए कि वे ऐसी महिलाओं को एकल महिला के रूप में प्रमाणित करें जो इसके लिए आवेदन करती हैं। इसके लिए स्थानीय स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों से भी मदद ली जा सकती हैं (जैसे अध्यापिकाएं, नर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पोस्टमैन आदि)। शहरी इलाकों में म्यूनिसिपल वार्ड मेम्बर भी एकल महिलाओं को प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। ये प्रमाण पत्र संबंधित वार्ड में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों द्वारा पुष्टि और एकल महिला द्वारा स्वघोषणा पर आधारित होंगे।

---

१. सिंगल वूमेन' में ये शामिल हैं: विधवा महिलाएं, कानूनन तलाकशुदा महिलाएं, अविवाहित युवतियां या ऐसी महिलाएं जिन्होंने कभी शादी नहीं की (३० वर्ष), पति से अलग हुई महिलाएं (ऐसी महिलाएं जो पिछले ३ साल या इससे अधिक समय से अपने जीवनसाथी से अलग रह रही हैं), और ऐसी महिलाएं जिनका पति लापता है या जो 'हाफ विडो' हैं (यानी ऐसी महिलाएं जिनके पति का पिछले एक साल से कोई पता नहीं हैं)।

२. एकल महिलाओं के अधिकार और सुविधाएं

एकल महिलाओं के बारे में एक समग्र नीति तैयार की जानी चाहिए। इस नीति के मुख्य आयाम ये होंगे:

२.१ भूमि एवं अन्य संसाधनों तक पहुंच

२.१.१ एकल महिलाओं को एकल परिवार का दर्जा दिया जाना चाहिए। शहर और गांव, दोनों जगह जिन परिवारों की मुखिया कोई एकल महिला है और जो परिवार गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी में आते हैं उन्हें राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज महिला के नाम पर ही जारी किए जाने चाहिए।

२.१.२ पति से अलग हो चुकी या जिन्हें पति ने छोड़ दिया हो और तलाकशुदा, सभी महिलाओं को अपनी ससुराल की संपत्ति में से आधी संपत्ति या वैवाहिक जीवन की अवधि में इकट्ठा की गई संपत्ति में से आधी संपत्ति मिलनी चाहिए चाहे वह संपत्ति अब तक महिला के नाम पर हो या न हो। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र सरकार की घर दोखांचे (दोनों का घर) नीति में ये प्रावधान किया गया है कि घर के मालिक के रूप में पति के साथ-साथ पत्नी का नाम भी दर्ज किया जाए।

२.१.३ खेती करने वाली एकल महिलाओं को किसान के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। वंचित और पिछड़े समुदायों की एकल महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर कृषि तथा आवासीय पट्टे दिए जाने चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि इन महिलाओं को सचमुच उस जमीन पर कब्जा भी मिले। इसके लिए ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें जो जमीन आवंटित की गई है वह विवादों से मुक्त हो और उस पर किसी तरह का गैरकानूनी कब्जा न हो।

२.१.४ एकल महिलाओं को मौजूदा आवास योजनाओं से जोड़ा जाए। उन्हें ऋण संबंधी सब्सिडी योजनाओं के लाभान्वितों में प्राथमिकता दी जाए। मध्य आय समूह और निम्न आय समूह की सभी एकल महिलाओं को भी इन योजनाओं में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। महिलाओं को ब्याज सब्सिडी भी ज्यादा मिलनी चाहिए और उन्हें कर्ज चुकाने के लिए लंबी अवधि भी मिलनी चाहिए।

२.२ सामाजिक सुरक्षा

२.२.१ डायन प्रथा को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून तैयार किया जाए क्योंकि देखा गया है कि इस प्रथा के नाम पर अक्सर एकल महिलाओं को ही निशाना बनाया जाता रहा है। विधवाओं के उत्पीड़न और एकल महिलाओं के शोषण को बढ़ावा देने वाली ऐसी किसी भी प्रथा को चिन्हित करके उसके खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने चाहिए।

२.२.२ विधवाओं के लिए पेंशन के साथ-साथ ऐसी महिलाओं को भी मासिक पेंशन दी जानी चाहिए जिन्होंने कभी शादी नहीं की, जो तलाकशुदा हैं या जो पति से अलग हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए, तेलंगाना सरकार ने एक ऐसी योजना लागू की है जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाली एकल महिलाओं को १,००० रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है जिनकी सालाना आमदनी १,५०,००० से ज्यादा नहीं है। इसी तरह शहरों में रहने वाली और २,००,००० से कम वार्षिक आय वाली एकल महिलाओं को भी १००० रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है। पेंशन की राशि राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का कम से कम आधी होनी चाहिए।

२.२.३ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत एकल महिलाओं को अलग से जॉब कार्ड मुहैया कराए जाएं।

२.२.४ महिलाओं को न्याय प्रदान करने, मुआवजा दिलाने और उनके अधिकारों व ताकत को सम्मान प्रदान करने में पारिवारिक अदालतों का प्रदर्शन बहुत ही दयनीय रहा है। स्थिति तब और ज्यादा भयावह हो जाती है जब इस कमजोरी का फायदा उठा कर भूतपूर्व पति गुजारा भत्ता देने से भी इनकार कर देता है या भत्ता समय पर नहीं देता। लिहाजा, एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके तहत पारिवारिक अदालतें सरकारी खजाने से गुजारा भत्ता महिलाओं को दें और फिर सरकार अलग हो चुके/तलाक ले चुके पति से वह पैसा वसूल करे।

२.२.५ एकल महिलाओं को समुचित आवास सुविधा मुहैया कराई जाए। इसके तहत उन्हें निराश्रय बसेरों, हिंसा व उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए चलाए जा रहे रिकवरी होम्स, वर्किंग वीमेन्स हॉस्टल्स, बेसहारा महिलाओं के लिए चलाए जा रहे बसेरों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली मांओं के लिए चलाए जा रहे बसेरों और मनोरोगी महिलाओं के लिए स्पेशल होम्स आदि की भी व्यवस्था करना शामिल है।

२.३ बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच

२.३.१ एकल महिलाओं को मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा कानून, मजदूर कल्याण बोर्ड आदि के तहत अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य बीमा योजनाएं भी मुहैया कराई जाएं। राजस्थान की भामाशाह योजना की तर्ज पर उन्हें एक कार्ड दिया जाए जिसके माध्यम से वे निशुल्क सेवाएं, ऋण, दवाइयां आदि हासिल कर सकें।

२.३.२ एकल महिलाओं के बच्चों को कक्षा ८ तक निशुल्क शिक्षा और इसके बाद छात्रवृत्ति दी जाए ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।

२.३.३ अगर कोई एकल महिला अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करना चाहती है तो उसे ब्रिज कोर्स के लिए छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए।

२.४ आजीविका का आश्वासन

२.४.१ एकल महिलाओं को कौशल निर्माण पाठ्यक्रमों के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय लाइवस्टॉक/पशुपालन मिशन तथा आजीविका जैसी योजनाओं में प्रावधान किया गया है कि कुल लाभान्वितों में से कम से कम एक तिहाई महिलाएं होंगी। इन एक तिहाई लाभान्वितों में से भी कम से कम ५० प्रतिशत लाभान्वित एकल महिलाएं होनी चाहिए।

२.४.२ मुद्रा जैसी योजनाओं के तहत एकल महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुद्रा योजना के तहत कर्ज देने वाले बैंकों और लघु वित्त संस्थानों को चाहिए कि वे एकल महिलाओं को रियायती ब्याज दर पर ऋण दें। इसके अलावा, स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत - जिसमें ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज शुरू करने के लिए प्रति बैंक शाखा एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति और एक महिला उम्मीदवार को १० लाख से १ करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जाता है - के तहत एकल महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिया जाए।

२.४.३ ग्रामीण विकास मंत्रालय की महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जैसे कार्यक्रमों के तहत सूचनाएं, ऋण और विपणन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एकल महिलाओं को मान्यता दी जाए, उनको संगठित किया जाए और उनको प्रशिक्षण दिया जाए। इसके अलावा एकल महिलाओं के संगठन या जिन संगठनों में अधिकांश सदस्य एकल महिलाएं हैं, ऐसे संगठनों को भी कोऑपरेटिव बैंकों से रियायती दरों पर ऋण दिया जाना चाहिए।

दलितों के अधिकार

१. हाथ से मल-मूत्र उठाने की आमानवीय प्रथा को पूरे देश में फौरन और मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए।

२. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निषेध) अधिनियम, १९८९ तथा संशोधन अधिनियम, २०१५ (२०१६ का अधिनियम संख्या १) को संविधान की ९वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इन दोनों कानूनों को पूरी सख्ती और ईमानदारी से लागू किया जाए। इसके अलावा, प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निषेध) कानून की धारा १४ के अनुसार विशेष न्यायालय भी गठित किए जाएं।

३. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निषेध) अधिनियम, १९८९ के नियम १५ तथा तमिलनाडु सरकार द्वारा तय की गई नियमावली के अंतर्गत तैयार की गई मॉडल कंटिंजेंसी योजना की तर्ज पर सभी राज्यों में कंटिंजेंसी योजनाएं लागू की जाएं। इन योजनाओं के तहत पीड़ितों के पुनर्वास, रोजागार, पेंशन और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उचित कार्यक्रम शुरू किए जाएं।

४. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निषेध) अधिनियम, १९८९ को और सख्त बनाया जाए। इसमें नियमित समीक्षा के प्रावधान किए जाएं। इसके दायरे को विस्तार दिया जाए ताकि दलित, ईसाई और दलित मुस्लिम मजदूरों को भी इसके दायरे में लाया जा सके। इस कानून को जम्मू के इलाके में भी लागू किया जाए।

५. एक केंद्रीय कानून पारित किया जाए जिसमें अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से बजट हो और उसके क्रियान्वयन की स्थिति पर नजर रखने के लिए एक निगरानी

व्यवस्था मौजूद हो। एससीसी एवं एसटीसी में दलित एवं आदिवासी महिलाओं के लिए एक विशेष योजना लागू की जाए और उसके क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाएं।

६. जिन महिलाओं को मैनुअल स्केवेंजिंग यानी हाथ से मल-मूत्र उठाने के व्यवसाय में फंसा पाया जाता है, उनके समुचित विकास और पुनर्वास के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया जाए।

७. श्रम बाजार, कार्यस्थल और निजी उद्यमों आदि में उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए केंद्रीय समान अवसर एवं अन्य विधायी उपाय लागू किए जाएं।

८. अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जो लोग 'बिरादरी की इज्जत' के नाम पर ऐसे जोड़ों की हत्या करते हैं या उनके साथ हिंसा करते हैं, उनके साथ बहुत सख्त कार्यवाही की जाए।

९. शासकीय क्षेत्र में दलित और आदिवासी निर्वाचित महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं ताकि स्थानीय शासन में उन्हें अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करने से कोई न रोक सके।

१०. देवदासी प्रथा जैसी भेदभावपूर्ण और उत्पीड़क व्यवस्था को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाया जाए। इस प्रथा से मुक्त कराई गई महिलाओं के राहत और पुनर्वास के लिए प्रावधान किए जाएं। उन्हें और उनके परिवारों को आजीविका और विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जाए।

११. बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी और सभी प्रकार की जबरन मजदूरी को खत्म करने के लिए विशेष प्रावधान लागू किए जाएं।

आदिवासियों के अधिकार

१. आदिवासी समुदायों के साथ संधि हेतु घोषणाः एक मित्रवत कदम के तौर पर ये ऐलान किया जाए कि आदिवासी समुदायों के साथ जिस तरह का ऐतिहासिक अन्याय होता रहा है, उसको स्वीकार करते हुए भारत सरकार उनके अधिकारों और अस्तित्व को मान्यता व सम्मान देने और बहाल करने के लिए एक संधि तैयार करेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी संधिया पहले भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, कनाड़ा की सरकार ने मूल निवासी समुदायों के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने के लिए औपनिवेशिक दौर की संधियों को फिर से बहाल कर दिया है।

२. पंचायत विस्तार अधिनियम, १९९६ (पेसा) कानून को अनुसूचित क्षेत्रों में सार्थक ढंग से लागू किया जाए। पेसा कानून में प्रस्तावित संशोधनों में स्वेच्छापूर्वक, क्रियान्वयनपूर्व और सूचनाओं पर आधारित सहमति की जो परिभाषा दी गई है उसे इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक अनिवार्य पूर्वशर्त के रूप में देखा जाना चाहिए।

३. अनुसूचित जनजातियों की कुल आबादी में से केवल ३९ प्रतिशत लोग ही अनुसूचित क्षेत्रों में रहते हैं। आदिवासियों को रोजगार मुहैया कराने, खासतौर से शहरी इलाकों की तरफ पलायन कर चुके आदिवासियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिएः

   ३.१ अनुसूचित जनजातियों को ऋण एवं मार्केटिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं;

   ३.२ सार्वजनिक क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लोगों को नौकरियों हेतु पारदर्शी व्यवस्था मुहैया कराई जाए; तथा

३.३ जनजातीय उपयोजना बजट को अनुसूचित जातियों की आबादी के अनुपात में खर्च किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आदिवासी उपयोजना के बजट को दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए और ऐसा होने पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

४. प्राकृतिक संसाधनों के साथ आदिवासी समुदायों के जुड़ाव और अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएं:

४.१ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्याता अधिनियम २००६ को समुचित प्रकार से लागू किया जाए। इसमें सामुदायिक वन अधिकारों, वास अधिकारों और भू-क्षेत्रीय अधिकारों पर विशेष जोर दिया जाए:

४.२ क्षतिपूरक वृक्षारोपण नीति (कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड - सीएएफ) नियमावली को फौरन वापस लिया जाए और उसे वन अधिकार कानून के अनुरूप बनाने के लिए उसमें संशोधन किए जाएं; तथा

४.३ मसविदा राष्ट्रीय वन नीति २०१८ को स्थगित किया जाए क्योंकि यह नीति समुदाय केंद्रित, अधिकार आधारित और वन संरक्षण पर केंद्रित अभिशासन मॉडल के विपरीत है। यह नीति वन संसाधनों के निजीकरण, औद्योगिकीकरण और व्यावसायिक दोहन पर केंद्रित दिखाई देती है।

५. देश भर में आदिवासियों की संस्कृति, भाषाओं, परंपरागत मूल्यों, बौद्धिक संपदा और श्रेष्ठ व्यवहारों पर चौतरफा हमला किया जा रहा है और उन्हें जबरन कथित मुख्यधारा में मिलाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में आदिवासियों की पहचान को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कदम उठाएं जाएं:

५.१ राज्य स्तर पर सांस्कृतिक अकादमियां स्थापित की जाएं और एक राष्ट्रीय जनजाति उत्सव आयोजित किया जाए जहां आदिवासी संस्कृति के पुनर्निर्माण, पुनर्नवीकरण और विकास के लिए प्रयास किए जा सकें।

५.२ आदिवासी इलाकों में आदिवासी विश्वविद्यालयों और आवासीय पाठशालाओं की संख्या बढ़ाई जाए ताकि आदिवासी छात्रों को त्रिभाषा फार्मूले (आदिवासी भाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा) के अनुसार सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त शिक्षा प्रदान की जा सके।

५.३ गोटुल जैसे परंपरागत युवा समूहों को प्रोत्साहन दिया जाए और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए आदिवासी युवाओं के लिए नेतृत्वशालाओं का भी आयोजन किया जाए।

६. आदिवासियों में भी विशेष रूप से आदिम जनजाति समूहों (पीवीटीजी) के परंपरागत भूमि अधिकारों, वन एवं आजीविका की रक्षा के लिए विशेष रूप से सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। इन समुदायों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए ताकि उन्हें उचित रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य जरूरी सुविधाएं मिल सकें।

घुमंतू और विमुक्त जातियों के अधिकार

१. विमुक्त जातियों (डीएनटी) की जनगणना और शिनाख्त के बाद इन समुदायों के बारे में वैधानिक अधिसूचना जारी की जाए। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएं:

१.१ डीएनटी समुदायों के व्यक्तियों की शिनाख्त के लिए डीएनटी तथा अन्य घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू समुदायों के वर्गीकरण और जनगणना की प्रक्रिया चलाई जाए। जाति जनगणना में डीएनटी समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जाए। यूआईडी काड्र्स जारी करने में भी उन्हें प्राथमिकता दी जाए। जिला प्रशासन को ऐसे लोगों को जाति प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बढ़-चढ़ कर काम करना चाहिए। किसी भी डीएनटी समुदाय के व्यक्ति को अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी व्यक्ति की तरह जाति प्रमाण पत्र मिलना उसकी मौजूदगी का न्यूनतम सबूत है। डीएनटी समुदायों को मतदाता पहचान पत्र, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड आदि मुहैया कराने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। इस प्रक्रिया में चरवाहा और अन्य भूतपूर्व शिकारी वन समुदायों पर भी उनकी भौगोलिक पृथकता के कारण विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

१.२ यह जनगणना पूरी होने पर सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय को राज्यवार/जिलावार डीएनटी की सूची जारी करनी चाहिए। इस अधिसूचना का सरकारी माध्यमों, मीडिया और समाज में व्यापक रूप से प्रचार किया जाना चाहिए।

२. एनटी-डीएनटी समुदाय के अधिकारों और विकास पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसी और व्यवस्था का अभाव एक बड़ी समस्या है। ऐसे में हमारा सुझाव है कि एक संसदीय कानून के माध्यम से एक राष्ट्रीय एनटी-डीएनटी आयोग का गठन किया जाए।

३. बहुत सारे डीएनटी परिवार कई दशकों से खेती करते आ रहे हैं। वे बंटाईदार, खेतिहर मजदूर और छोटे किसान हैं। मगर भूमि सुधार कार्यकमों में प्रायः उनकी उपेक्षा होती रही है। डीएनटी समुदायों को पट्टे दिए जाएं और उनको पक्की मान्यता दी जाए। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जमीन पर दावेदारी दिलाई जाए, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में किया गया है। जिन घुमंतू समुदायों को जंगलों से बाहर पुनर्वास दिया गया है, उन्हें वन अधिकार कानून, २००६ को लागू करने के साथ-साथ जमीन के पट्टे भी दिए जाएं।

४. सामाजिक सुरक्षा

४.१ डीएनटी समुदायों को अपराधिकरण के कलंक से मुक्तिः डीएनटी समुदायों को विकास की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए उनको अपराधिकरण के कलंक से मुक्त करना जरूरी है यानी उन्हें अपराधियों की तरह से देखना छोड़ना होगा। यूं तो इन समुदायों को आपराधिक कबीलों की सूची से पहले ही बाहर कर दिया गया था और इस आशय का कानून भी कई दशक पहले खत्म कर दिया गया था मगर इसके बावजूद डीएनटी समुदायों के प्रति हमारे समाज और पुलिस का रवैया बहुत पूर्वाग्रह ग्रस्त रहता है। इससे निपटने के लिए और डीएनटी समुदाय को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों/ओबीसी समुदायों की भांति अपने अधिकारों से अवगत कराने के लिए एक सघन राष्ट्रीय अभियान चलाया जाना चाहिए। इससे जनता को भी इसका अहसास होगा कि इन समुदायों के साथ हिंसा/भेदभाव तथा उनके मानवाधिकारों की अवहेलना काननून दंडनीय है और लिहाजा उन्हें इन समुदायों के प्रति अपना ऐतिहासिक पूर्वाग्रह छोड़ना होगा।

४.२ स्कूलों/कॉलेजों में जाने वाले सभी डीएनटी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षिक सहायता जरूर मिलनी चाहिए। साथ ही वयस्कों के लिए प्रौढ़ शिक्षा की भी सुविधा मुहैया कराई जाए।

४.३ बेघर डीएनटी समुदायों के लिए एक उचित आवास कार्यक्रम चलाया जाए। यह कार्यक्रम स्थायी और अस्थायी, दोनों तरह की डीएनटी आबादियों के एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के आधार पर चलाया जाए। आवास सुविधाओं के लिए योग्य और जरूरतमंद पाए जाने वाले डीएनटी परिवारों को चरणबद्ध ढंग से निशुल्क या रियायती दर पर मकान मुहैया कराए जाएं। इसके लिए राजस्थान के गडरिया लोहार आवास सुधार जैसे कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। डीएनटी समुदायों में निराश्रयता की स्थायी समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट का एक हिस्सा डीएनटी समुदायों के कल्याण के लिए निर्धारित किया जा सकता है।

४.४ डीएनटी समुदायों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए।

४.५ बेघर घुमंतू मछुवारा समुदाय को जहां तक हो सके बांधों और जलाशयों के आसपास ही पुनर्वास दिया जाना चाहिए ताकि वे अपना परंपरागत व्यवसाय जारी रख सकें।

४.६ एक समेकित ढांचागत विकास कार्यक्रम तैयार किया जाए ताकि घुमंतू और डी-नोटिफाइड समुदायों की मौजूदा बस्तियों में सड़क, स्कूल, बिजली, पीने के पानी और समुदायिक केंद्र आदि बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें।

५. आजीविका

५.१ बहुत सारे कानूनों में डीएनटी समुदायों और उनके काम-धंधों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है जिससे उनके साथ होने वाले जाति/समुदाय आधारित पूर्वाग्रहों और पक्षपात को बढ़ावा मिलता है। ऐसे कानूनों की समीक्षा करके उन्हें फौरन रद्द किया जाए। उदाहरण के लिए, आदतन अपराधी अधिनियम, १९५२ (हेबिच्युअल ऑफेंडर ऐक्ट) कानून डीएनटी समुदायों के लोगों की धर-पकड़ के लिए अकसर इस्तेमाल किया जाता है। इस कानून को फौरन खत्म दिया जाना चाहिए।

५.२ एनटी-डीएनटी के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक विशेष केंद्रीय निधि गठित की जाए। यह निधि एनटी-डीएनटी आबादी के अनुपात में ही होनी चाहिए।

अल्पसंख्यकों के अधिकार

१. हीलिंग टचः पिछले कुछ सालों के दौरान देश भर में साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण और मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा हत्या) की बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को एक भरोसा बंधाना जरूरी है। उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना जरूरी है कि वे भी भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में बराबर के नागरिक हैं। इसके लिए राजनीतिक बयान जारी किए जा सकते हैं, विभिन्न कानूनी कार्रवाइयों और मुकदमों में उनको मदद दी जा सकती है, पीड़ितों को मुआवजा और मदद दी जा सकती है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा सामाजिक सद्भाव और सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं।

२. प्रधानमंत्री के १५ सूत्री कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया जाएः जिन जिलों में अल्पसंख्यकों की आबादी अधिक है वहां बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (मल्टी सेक्टोरल डेवलेपमेंट प्रोग्राम - एमएसडीपी) की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए और प्रधानमंत्री के नए १५-सूत्री कार्यक्रम पर लगातार नजर रखी जाए। इस अद्यतन में इन कार्यक्रमों के तहत हुए वार्षिक खर्चे, प्रत्येक योजना के तहत लाभ. ाान्वितों की संख्या, निगरानी की व्यवस्था, कार्यक्रमों के सार्वभौमिकीकरण के लिए उठाए गए कदम और सरकारी कर्मचारियों को अल्पसंख्यक व मुस्लिम नागरिकों की गरीबी, बेदखली और पिछड़ेपन के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा दिया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों से अल्पसंख्यक नागरिकों को क्या लाभ हुए हैं, इसको मापने के लिए बजट आवंटन और व्यय पर भी नजर रखी जानी चाहिए। मुसलमान विद्यार्थियों को वही छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए जो दलितों को दी जा रही हैं।

३. आर्थिक एवं शैक्षिक समावेशनः आईसीडीएस, स्वास्थ्य, आजीविका, छात्रवृत्ति आदि के लिए गरीबों

के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं में मुलसमानों को भी शामिल किया जाना चाहिए और इन कार्यक्रमों के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए।

४. अल्पसंख्यकों की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक निश्चित बजट और एक विशेष अल्पसंख्यक विकास योजना तैयार की जानी चाहिए। सभी मुस्लिम बहुल गांवों, ग्रामीण टोलों और शहरी बस्तियों में पीने के साफ पानी, नालियों, साफ-सफाई, विद्युतीकरण, पोषाहार और आर्थिक स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी प्राथमिक सुविधाओं के लिए कानून बनाया जाना चाहिए।

५. मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के लिए विशेष उपाय किए जाएं: समाज में फैली पितृसत्तात्मक सोच की वजह से मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को मदद की जरूरतमंद नागरिकों के रूप में नहीं देखा जाता है। लिहाजा गरीबी उन्मूलन की सभी योजनाओं में मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को विशेष रूप से शामिल किया जाना चाहिए। होमबेस्ड महिला मजदूरों को जीवन स्तरीय मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, कौशल प्रशिक्षण, ऋण सुविधा और मार्केटिंग सुविधा आदि के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। मुस्लिम बस्तियों और मोहल्लों में लड़कियों के लिए सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए और उनमें अध्यापिकाओं को नियुक्त किया जाए। देश की श्रमशक्ति में मुस्लिम महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत ही कम रह गई है इसलिए उनको आगे लाने पर खासतौर से ध्यान दिया जाना चाहिए।

६. मुस्लिम फैमिली लॉ: संसद को एक मुस्लिम फैमिली लॉ पारित करना चाहिए ताकि मुस्लिम महिलाओं को भी उसी तरह की कानूनी सुरक्षा मिल सके जिस तरह हिंदू मैरिज ऐक्ट १९५५ के माध्यम से हिंदू महिलाओं को मिली थी। शिक्षा और आजीविका साधनों के साथ-साथ यह कानून मुस्लिम महिलाओं को एक सशक्त और सम्मानजनक जीवन जीने और जेंडर न्याय के नाम पर होने वाली राजनीति को रोकने में मदद देगा।

७. अनुच्छेद ३४१ से संलग्न प्रेजीडेंशियल ऑर्डर के अनुखंड ३ को फौरन खत्म किया जाए ताकि दलित ईसाइयों और मुसलमानों को भी अनुसूचित जाति नागरिकों को मिलने वाले लाभ मिल सकें।

८. एक समग्र भेदभाव विरोधी कानून बनाया जाए और ऐसे कानून के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए समान अवसर आयोग भी गठित किया जाए।

९. धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव, छुआछूत, अत्याचारों, सामाजिक बहिष्कार, सामूहिक हिंसा, नस्लीय अपराध/घृणा आधारित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाएं। ऐसे लोगों के पुनर्वास की नीति भी तैयार करनी होगी जो सांप्रदायिक हिंसा के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं।

१०. 'वक्फ सेवाओं' का गठन किया जाए और वक्फ प्रॉपर्टीज (ऐविक्शन ऑफ अनॉथॉराइज्ड ऑक्यूपेंट्स) विधेयक २०१४ को फिर से बहाल किया जाए। मुसलमानों को वक्फ प्रॉपर्टीज का उपयोग करने का और लाभ उठाने का मौका मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए समाज कल्याण कार्यक्रम शुरू किए जाएं।

सबके लिए गुणवतापूर्ण शिक्षा का अधिकार

१. शिक्षा अधिकार कानून को सख्ती से लागू किया जाए और १८ साल तक के सभी बच्चों और किशोर-किशोरियों को इसके दायरे में लाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर १८ साल तक के सभी नागरिकों को बच्चा माना जाता है इसलिए भारत में भी उन सभी को इस कानून के तहत लाना जरूरी है। इसके अलावा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (अर्ली चाइल्डहुड केयर ऐण्ड एजुकेशन - ईसीसीई) स्कूल-पूर्व एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा को कानूनी अधिकार के रूप में उपलब्ध कराया जाए।

२. शिक्षा के व्यवसायीकरण एवं निजीकरण की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। निजी स्कूलों और ईसीसीई केंद्रों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय नियामक रूपरेखा लागू की जाए जिसमें न केवल फीस के बारे में नियम तय किए जाएं बल्कि गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन करने पर भी जोर दिया जाए।

३. सभी स्कूलों से छुआछूत और भेदभाव को खत्म किया जाए। सभी स्कूलों में संरक्षित और निरापद स्कूल वातावरण मुहैया कराने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और उन पर लगातार नजर रखी जाए। आदिवासियों, दलितों, मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों, लड़कियों और विकलांग बच्चों और अन्य संकटग्रस्त समूहों के बच्चों की शिक्षा के रास्ते में आ रही रुकावटों को फौरन दूर किया जाए।

४. वैश्विक शैक्षिक व्यय मानकों और कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार जीडीपी का कम से कम ६ प्रतिशत अंश शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। हमारा सुझाव है कि लड़कियों की शिक्षा पर बजट आवंटन पर विशेष रूप से जोर दिया जाए। दलित, मुस्लिम और आदिवासी समुदाय

की लड़कियों की शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाए। इसके अलावा, आरटीई कानून के तहत ईसीसीई के लिए एक निर्धारित बजट होना चाहिए। आरटीई के नियमों का पालन करने के लिए सरकार को पर्याप्त मात्रा में आर्थिक संसाधन तय करने होंगे क्योंकि यह लक्ष्य केवल शिक्षा अधिभार के जरिए पूरा नहीं किया जा सकता। प्रगतिशील कराधान व्यवस्था के माध्यम से अतिरिक्त खर्च जुटाना होगा। केंद्रीय और संबंधित राज्य सरकार को पीईबी की सिफारिशों का सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि वे स्तरीय कार्यक्रमों से संबंधित अधिकारों और कार्यक्रमों पर कम से कम ३० प्रतिशत अनुदान खर्च कर सकें।

५. १८ साल तक के सभी बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया जाए और बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम २०१६ की धारा ३ के उस प्रावधान को भी खत्म किया जाए जिसमें 'पारिवारिक उद्यम' के भीतर बच्चों द्वारा मजदूरी को मान्यता दी गई है।

६. बच्चों के शैक्षिक अधिकारों के अवहेलना की घटनाओं में सुनवाई की एक प्रभावी और सख्त व्यवस्था लागू की जाए।

७. शिक्षा अधिकार कानून के तहत नो-डिटेंशन नीति यानी बच्चों को फेल न करने की नीति जारी रखी जाए।

८. स्कूलों के विलय के नाम पर हजारों सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजनाओं को रद्द किया जाए और जो स्कूल बंद किए गए हैं उन्हें फिर से खोला जाए ताकि आरटीई के प्रावधानों के अनुसार सभी बच्चों को अपने घर के निकट स्कूल मिल सके।

मानवाधिकार संरक्षकों की सुरक्षा

अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं संवैधानिक निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मानवाधिकार रक्षकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु समग्र कानून व नीतियां बनाना जरूरी है। मानवाधिकार रक्षकों को कानूनी मान्यता व सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें लोगों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक अधिकारों की रक्षा के लिए तथा सामाजिक व पारिस्थितिकीय न्याय की रूपरेखा के तहत लोगों के व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपना काम स्वेच्छापूर्वक करने की आजादी मिलनी चाहिए।

आपदा प्रबंधन एवं तत्काल प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना

१. तैयारीः

१.१ संवेदनशील आबादियों की पहचानः सभी संवेदनशील आबादियों का नक्शा तैयार किया जाना चाहिए, खासतौर से एकल महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांगों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं की शिनाख्त की जानी चाहिए। राहत और बचाव कार्यक्रमों में भी इन तबकों की खास जरूरतों के हिसाब से उन्हें मदद दी जानी चाहिए। आपदाओं से निपटने के लिए बनाई गई समितियों में इन लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के साथ भी उन्हें जोड़ा जाना चाहिए।

१.२ ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, खासतौर से युवाओं को, जो फर्स्टएड, तैराकी, बिजली की मरम्मत, नौका चालन आदि क्षमताएं रखते हैं। ऐसे युवाओं को अपना कौशल और निखारने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे आपदाओं की स्थिति वे असरदार ढंग से अपना योगदान दे सकें।

२. बचाव कार्य :

२.१ विकलांग, वृद्ध, महिलाएं, बच्चे और समाज के अन्य संवेदशील लोग आपदाओं के दौरान सबसे ज्यादा पीड़ा झेलते हैं इसलिए उनके बचाव पर खासतौर से ध्यान दिया जाना चाहिए। विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियिम, २०१६ की धारा ८ (१ से ४) के अनुरूप भी ऐसा करना आवश्यक है।

३. पुनर्वासः

३.१ एक सिंगल विंडो फास्ट ट्रैक व्यवस्था के जरिए एक त्वरित एवं तीव्र पुनर्वास प्रक्रिया (अधिकतम ६ माह) पर जोर दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से आपदा प्रभावितों की तबाही और उनके पलायन को रोकने में मदद मिलेगी।

३.२ घर की मुखिया के रूप में महलाओं को ही मुआवजा पैकेज दिया जाना चाहिए। अगर पीड़ित व्यक्ति कोई एकल महिला है तो उसको अतिरिक्त नकद मुआवजा दिया जाना चाहिए।

३.३ यह सुनिश्चित किया जाए कि आजीविका मुआवजे में खेती के अलावा मछली सुखाने, सब्जी बेचने, छोटी-मोटी दुकान चलाने जैसी दूसरी गतिविधियों को भी कवर किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह की लघु आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है।

३.४ बहुत सारे इलाकों में मनुष्यों और जंगली जानवरों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इस टकराव की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को होता है और फलस्वरूप स्थानीय समुदायों के पोषण और आर्थिक स्थति पर असर पड़ता है। कई जगह से लोगों की मृत्यु, जानवरों की मृत्यु, संपत्ति के नुकसान की भी खबरें आती रही हैं। इन सारी स्थितियों में लोगों को समुचित मुआवजा नहीं दिया गया है। लिहाजा, इस तरह की क्षति पर अंकुश लगाने और जानवरों को बेहतर पर्यावास मुहैया कराने और पारिस्थितिकीय संतुलन सुनिश्चित करने के लिए इस समस्या से अच्छी तरह निपटना जरूरी है।

३.५ आपदा पश्चात सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा समन्वय व्यवस्था (डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी - डीडीएमए ग्राम/पंचायत स्तर पर) का गठन किया जाना चाहिए। आपातकालिक संचालन केंद्र भी खोले जाएं जहां प्रभावित समुदायों के लिए सभी जरूरी जानकारियां और मदद उपलब्ध हो। किसी भी तरह के नुकसान का आकलन करने और लोगों को मुआवजा व पुनर्वास मुहैया कराने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय भी जरूरी है।

३.६ पारदर्शिता और उत्तरदायित्व व्यवस्था भी विकसित की जाए तथा आपातकालिक कामों पर हुए खर्च की जानकारी पारदर्शी ढंग से ग्राम पंचायत के स्तर पर सभी को मुहैया कराई जाए।

४. लचीलापन/सहनशीलता

४.१ आपदा चौकसी योजनाओं में दलित, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक समुदायों की किशोरियों व महिलाओं की चिंताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारा सुझाव है कि आपातकालिक स्थितियों से निपटने के लिए ग्राम एवं जिला स्तरीय समितियों में महिलाओं को कम से कम ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व जरूर दिया जाना चाहिए।

४.२ शहरी इलाकों में लचीलापन और निर्माण कार्यों में असंगठित मजदूरों की जरूरतों और परेशानियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सुरक्षित आवास, आजीविका विकल्प और कौशल निर्माण, सामाजिक सुरक्षा आदि आपदा जोखिम अंकुश कार्यक्रमों का हिस्सा होना चाहिए। आमतौर पर अस्थायी आवास को पहुंचने वाली क्षति को क्षतिपूर्ति योग्य नहीं माना जाता है जिससे प्रभावित परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है। लिहाजा, मुआवजा देते समय क्षति की मात्रा की बजाय प्रभावित आबादी की स्थिति पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।

४.३ बच्चों के लिए अनुकूल परिधियों की रचना करना भी जरूरी है। बच्चों को लचीलापन विकास प्रक्रिया में शामिल करना और ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि किसी भी तरह की आपदा को झेलने में सक्षम सुरक्षित बुनियादी ढांचे पर आधारित सुरक्षित स्कूलों में बच्चों के लिए अनुकूल माहौल हो। बच्चों को आपदा चौकसी और प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। स्कूली पाठ्यचर्या के माध्यम से सुरक्षा की संस्कृति और व्यवहार को बढ़ावा देना स्कूलों को आपदा का सामना करने के योग्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इन आपदाओं का सामना करने वाले बच्चों के लिए सामुदायिक संरक्षण व्यवस्था को मजबूती देना भी जरूरी है।

www.actionaidindia.org
actionaidindia @actionaid_india @actionaidcomms
ActionAid Association, R - 7, Hauz Khas Enclave, New Delhi - 110016
+911-11-4064 0500